प्रकरण संख्या 16/2015 मोगजी व अन्य बनाम फतिया व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 590, 591, 595 से 600, 892 से 894, 934, 935, 948 से 950, 1116/601 कुल किता 18 रकबा 3.13 हैक्टर भूमि ग्राम तरकीया, तहसील बागीदौरा में स्थित है। साबिक आराजी नंबर 301 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जो वादीगण के खातेदार एवं कब्जे काश्त के थे, जिनके नवीन खसरा नंबर 594 रकबा 0.01 हैक्टर, 595 रकबा 0.23 हैक्टर एवं 600 रकबा 0.10 हैक्टर बने हैं, परन्तु भू–प्रबन्ध के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 से 16 ने मिलीभगत से प्रतिवादीगण के खाते के नंबर 594 रकबा 0.01 हैक्टर चाही कुंआ दर्ज किया गया, जबकि खसरा नंबर 595 व 600 वादीगण के खाते में इन्द्राज किये गये। मौके पर खसरा नंबर 594 कुंआ है, जो वादीगण के कब्जे व स्वामित्व का होकर प्रतिवादीगण का उक्त कुंए में कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर साबिक आराजी नंबर 301 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा से बने हाल आराजी नंबर 591 रकबा 0.01 हैक्टर कुंआ प्रतिवादीगण के खाते से कम कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं बताया कि साबिक आराजी नंबर 594 रकबा 0.01 हैक्टर कुंआ प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज होकर उनका कब्जा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को परेशान करने की गरज से झूठा वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में तनकियां कायम कर अपने निर्णय दिनांक 09.01.2014 से प्रतिवादीगण के खाते से आराजी नंबर 594 रकबा 0.01 हैक्टर कम कर वादीगण को खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.06.2015 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार गांधी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब होकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:33 IST
Reason: SelfAttested

जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण गरीब, मजदूर व अनपढ़ व्यक्ति होकर बाहर मजदूरी करते हैं, जिससे वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके। निर्णय व डिक्री की जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील करीब डेढ़ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 09.01.2014 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 19.06.2015 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील की समयावधि में दिनांक 09.03.2014 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में करीब सवा वर्ष का विलम्ब हुआ है, किन्तु प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्टगण के अधिवक्ता द्वारा नो इन्ट्रक्शन प्लीड कर दिया गया था, जिसकी कोई सूचना अपीलान्टगण को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण के अभिभाषक द्वारा दिनांक 22.08.2013 को नो इन्ट्रक्शन किया गया, जिसकी कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी, जिससे अपीलान्टगण दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। उक्त आदेशिका दिनांक 22.08.2013 की कार्यवाही में जिरह हेतु समय चाहे जाने का अंकन है, नो इन्ट्रक्शन का कोई अंकन नहीं है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियां कायम की गयी, किन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया। घोषणा के वाद में कब्जा एक महत्वपूर्ण बिन्दु है एवं कब्जा अपीलान्टगण का है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे के रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजों साक्ष्यों का विवेचन करते हुए साबिक आराजी नंबर 301 से हाल आराजी नंबर 594 रकबा 0.01 हैक्टर बनना मानकर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.08.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा नो इन्ट्रक्शन प्लीड किया गया, जिसकी कोई सूचना उनके अधिवक्ता अथवा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को नहीं दी गयी है, जबकि विधि अनुसार नो इक्ट्रक्शन करने पर पक्षकार को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है। उक्त आदेशिका दिनांक 22.08.2013 में नो इन्ट्रक्शन किये जाने बाबत् कोई अंकन नहीं है, केवल प्रकरण जिरह हेतु दिनांक 05.09.2013 का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्द अहकाम से हटकर निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 39/2009 निर्णय एवं डिक्री 09.01.2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन अनुसार प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 25.11.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:33 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:33 IST
Reason: SelfAttested